नवोदय विद्यालय समिति
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)
भारत सरकार
बी-15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-62, नोएडा (उ.प्र.) -201309
दूर. 0120-2405969,70,71,72,73, फैक्स : 0120-2405182

Navodaya Vidyalaya Samiti
Ministry of Human Resource Development
(Deptt. of School Education & Literacy)
Government of India
B-15, Institutional Area, Sector-62, NOIDA (U.P.)- 201309
Tel. 0120-2405969,70,71,72,73, Fax : 0120-2405182
वेबसाइट/Website : www.nvshq.org

फा.नं. 3-1/2017-न.वि.स.(हि.प्र.) / 393

दिनांक: 09.01.2018

सेवा में,

1. उपायुक्त
नवोदय विद्यालय समिति
सभी क्षेत्रीय कार्यालय

2. निदेशक,
सभी नवोदय नेतृत्व
संस्थान

3. प्राचार्य,
सभी जवाहर नवोदय विद्यालय
(नविस की वेबसाइट के माध्यम से)

विषय : **फार्म, रसीद, रजिस्टर, रबड़ की मोहरे, लेखन सामग्री, आदि हिंदी एवं अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में जारी किए जाने के संबंध में**

महोदय/महोदया,

इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि एक जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा आरटीआई आवेदक को आरटीआई शुल्क की रसीद अंग्रेजी में जारी की गई है। आवेदक द्वारा इसकी शिकायत राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को करने के पश्चात मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे सभी कागजात नियमानुसार द्विभाषी रूप में उपलब्ध होने चाहिए तथा आम जनता के साथ पत्राचार किए जाने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी किए जाए।

उपरोक्त के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालाय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा इस कार्यालय द्वारा द्वारा इस संबंध में भी समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं विद्यालयों तथा नविस मुख्यालय के संबंधित अनुभागों को पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि सभी प्रकार के फार्म, रसीद, रजिस्टर, रबड़ की मोहरें, लेखन सामग्री, आदि हिंदी एवं अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप से बनवाएं/प्रयोग में लाएं। साथ ही ध्यान रखा जाए कि हिंदी के शीर्षक पहले (ऊपर) दिए जाएं और अंग्रेजी के शीर्षक बाद में (नीचे) दिए जाएं तथा दोनों भाषाओं के अक्षरों का आकार समान हों अर्थात् छोटे-बड़े न हों। इसके अतिरिक्त सभी कार्यालयीन पत्राचार नियमानुसार हिंदी/द्विभाषी में किया जाएं।

उक्त निर्देशों का दृढ़तापूर्वक पालन सुनिश्चित करें और कृत कार्रवाई की रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय,

(डॉ. होम्मारेड्डी एन.)
संयुक्त आयुक्त (प्रशा.)

प्रतिलिपि: 1. सभी विंग/अनुभाग प्रमुख, नविस मुख्यालय - कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चत करवाएं।

2. वेबमास्टर, न.वि.स. - कृपया इसे न.वि.स., मुख्यालय की वेबसाइट पर डालें।